रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02012026-269030
CG-MH-E-02012026-269030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947
No. 829] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

मुंबई, 6 अक्तूबर, 2025

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (सातवां संशोधन) विनियमावली, 2025

फा.सं. फेमा. 10 (आर)(7)/2025-आरबी— विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 (अधिसूचना सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी, दिनांक 21 जनवरी 2016) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (सातवां संशोधन) विनियमावली, 2025 कहलाएगी।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा: -"(iii-ए) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के खंड (छ) में दिया गया है।"

3. मूल विनियमावली में, विनियम 5 में, उप विनियम (सीए) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(सीए). भारत में निवासी व्यक्ति, जो कि एक निर्यातक है, माल और सेवाओं के निर्यात के बदले निर्यातक द्वारा प्राप्त किए गए पूर्ण निर्यात मूल्य तथा अग्रिम विप्रेषण की वसूली के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है। इस खाते में प्राप्त निधियों का उपयोग प्राप्ति के माह से –

(ए) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बैंक में रखे गए खातों के मामले में तीन महीने: या

(बी) अन्य सभी क्षेत्राधिकारों के लिए अगले महीने,

के अंत तक, निर्यातक द्वारा भारत में अपने आयातों के भुगतान या भावी प्रतिबद्धताओं के समायोजन के बाद भारत में प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से किया जा सकता है, बशर्ते कि समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015, में यथा विनिर्दिष्ट वसूली और प्रत्यावर्तन संबंधी अपेक्षाएँ भी पूरी होती हों।"

4. मूल विनियमावली में, विनियम 5 के अंत में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा: -

"स्पष्टीकरण: - विनियम 5 के प्रयोजन के लिए, 'भारत के बाहर/विदेश में' खोले जाने वाले अनुमत विदेशी मुद्रा खाते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भी खोले जा सकते हैं।"

एन. सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./567/2025-26]

फुटनोट: मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 21.01.2016- जीएसआर संख्या 96 (ई), में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया, यथा: -

अधिसूचना जीएसआर संख्या 570 (ई) दिनांक 01.06.2016

अधिसूचना जीएसआर संख्या 160 (ई) दिनांक 27.02.2019

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(3)/2024-आरबी, दिनांक 23.04.2024

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(4)/2024-आरबी, दिनांक 21.11.2024

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(5)/2025-आरबी, दिनांक 14.01.2025

अधिसूचना सं. फेमा 10(R)(6)/2025-आरबी, दिनांक 29.04.2025

RESERVE BANK OF INDIA

(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)

Mumbai, the 6th October, 2025

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Seventh Amendment) Regulations, 2025

F.No. FEMA 10(R)(7)/2025-RB— In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015 [Notification No. FEMA 10(R)/2015-RB dated January 21, 2016] (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:

1. Short Title and Commencement: -

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) (Seventh Amendment) Regulations, 2025.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 2, after clause (iii), the following shall be inserted namely:-

"(iii-a) 'International Financial Services Centre' or 'IFSC' shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019)."

3. In the principal regulations, in regulation 5, the sub-regulation (CA) shall be substituted by the following, namely:-

“(CA). A person resident in India, being an exporter, may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India, for realisation of full export value and advance remittance received by the exporter towards export of goods or services. Funds in this account may be utilised by the exporter for paying for its imports into India or repatriated into India within a period not exceeding the end of

(a) three months in case of accounts maintained with banks in an International Financial Services Centre; or

(b) next month for all other jurisdictions;

from the date of receipt of the funds after adjusting for forward commitments, provided that the realisation and repatriation requirements as specified in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2015, as amended from time to time, are also met.”

4. In the principal regulations, at the end of regulation 5, the following shall be inserted namely:-

“Explanation: - For the purpose of regulation 5, the foreign currency accounts permitted to be opened ‘outside India/ abroad’ can also be opened in International Financial Services Centre.”

N. SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./567/2025-26]

Footnote: The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21.01.2016 - G.S.R.No.96(E) and subsequently amended vide the following, namely;

Notification G.S.R. No.570(E) dated 01.06.2016
Notification G.S.R. No.160(E) dated 27.02.2019

Notification No.FEMA.10R(3)/2024-RB dated 23.04.2024

Notification No.FEMA.10R(4)/2024-RB dated 21.11.2024

Notification No.FEMA.10R(5)/2025-RB dated 14.01.2025

Notification No.FEMA.10R(6)/2025-RB dated 29.04.2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.02 16:21:21 +05'30'